न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 109/2013 निर्णय दिनांक :–27.12.2024

उनवानी दावा :

बहादुर पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1.रामपाल पुत्र जयराम जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक
2.छीतरी पुत्री जयराम जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक
3.राधाकिशन पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ हाल निवासी प्रेमनगर कॉलोनी, कुचलवाड़ा तहसील जहाजपुर
4.रामराज पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5.कैलाशी पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी चावण्ड की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
6.आशा पुत्री भूरा पत्नी हरिसिंह जाति मीणा निवासी सरस्या तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
7.रामकुरी बेवा भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली
8.तहसीलदार दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/दादा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात साबिक ख. नं. 124, 168, 211, 238, 795, 796, 799, 800, 805, 912, 913, 914, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928, 1092, 1095/2, 1192, 1193, 1199, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215 कुल किता 34 कुल रकबा 134 बीघा 16 बीसवा वाके ग्राम सांवगढ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जिसमें पांचू, सुखदेव पि. रामसुख का 2/5 हिस्सा, धर्मा, रामपाल पुत्र जयरामा एवं छीतरी, मथरी पुत्री जयराम व गुलाब बेवा जयरामा का 1/15 हिस्सा व नारायण, भूरा पि0 माधो का 2/15 हिस्सा व लखमा, रामदेव, लादू, कल्याण पि0 औंकार का 1/5 हिस्सा व गंगाराम पुत्र रूघा का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त सभी व्यक्तिगण वादी व प्रतिवादीगण के दादा/पिता अर्थात पूर्वज है। उक्त वर्णित आराजी में रामसुख के पांच बेटे हुए जिनमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 7 भूरा के जायज कायम मुकामान है। जयरामा की पुत्री मथरी व उसकी बेवा गुलाब का देहान्त हो चुका है इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बरान जिनका विवरण वाद पत्र में किया गया, में से रामसुख के पांचो बेटो ने बंटवारा कर अपना अपना 1/5–1/5

हिस्सा अपने नाम लगवा लिया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम लगा दिया गया है। साबिक ख. नं. 925 रकबा 3 बीघा 5 बीसवा में रामसुख के पांचो बेटो का 1/5–1/5 हिस्सा है। भूरा पुत्र रामसुख का उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा है जो लगभग 12 बिसवा के बराबर होता है। भूरा के तीन बेटे है तथा भूरा के पिता माधुराम के चार बेटे है। उक्त खसरा नम्बर 925 में से नारायण व श्री किशन ने तो अपना हिस्सा अलग करवाकर स्वयं के नाम लगवा लिया लेकिन जयराम ने वादी के पिता भूरा के भोलेपन का फायदा उठाकर ख. नं. 925 से बने हाल ख. न. 3621 रकबा 0.09 है0 स्वयं के नाम लगवा लिया अेर उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम लग गया जबकि उक्त खसरा नम्बर में से लगभग 0.04 है0 जमीन पर वादी एवं प्रतिवादी 3 ता 7 का कब्जा है। वादी ने इन्द्रा आवास सरकारी योजना से पैसा लेकर उक्त दोनो कमरे बनाये है। हाल ही में सांवतगढ़ उथरणा ढाणी को राजस्व विलेज घोषित कर देने के कारण उक्त ख. न. 3621 के नये नम्बर 2407 बना दिये गये है। वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 7 मृतक भूरा के कायम मुकाम है और हाल ख. नं. 2407 रकबा 0.09 है0 में से 0.04 है0 जमीन जो वादी एवं प्रतिवादीगण 3 ता 7 की पुश्तैनी जमीन है, को अपनी खातेदारी में लगवाने के अधिकारी है परन्तु प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 आये दिन वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 7 के कब्जे मे मजामहत करते है इस कारण उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नौकर चाकर मे वादी एवं प्रतिवादी 3 ता 7 के कब्जे में मजामहत नही करे और पाबन्द रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष श्री आर. एस. काबरा ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया और बाद में भी बहस तक असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही बहस से पूर्व अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 बहादुर पुत्र भूरा जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी सांवतगढ तहसील देवली का पेश किया व प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 वारिस प्रमाण पत्र, प्रदर्श–2 सरपंच द्वारा जारी सजरा, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–6 व 7 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सेटलमेंट से पूर्व पेश किये।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह निल रही।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/दादा की संयुक्त खातेदारी की विवादित आराजी ख. नं. 925 वाके ग्राम सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में रामसुख के पांच बेटे हुए जिनमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 7 भूरा के जायज कायम मुकामान है। साबिक ख. नं. 925 रकबा 3 बीघा 5 बीसवा में रामसुख के पांचो बेटो का 1/5–1/5 हिस्सा है। माधूराम पुत्र रामसुख का उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा है जो लगभग 12 बिसवा के बराबर होता है। भूरा के तीन बेटे हैं तथा भूरा के पिता माधूराम के चार बेटे है। उक्त खसरा नम्बर 925 में से नारायण व श्री किशन ने तो अपना हिस्सा अलग करकर स्वयं के नाम लगवा लिया लेकिन जयराम ने वादी के पिता भूरा के भोलेपन का फायदा उठाकर ख. नं. 925 से बने हाल ख. न. 3621 रकबा 0.09 है0 स्वयं के नाम लगवा लिया और उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम लग गया जबकि उक्त खसरा नम्बर में से लगभग 0.04 है0 जमीन पर वादी एवं प्रतिवादी 3 ता 7 का कब्जा है। हाल ही में सांवतगढ़ उथरणा ढाणी को राजस्व विलेज घोषित कर देने के कारण उक्त ख. न. 3621 के नये नम्बर 2407 बना दिये गये है। वादी व प्रतिवादीगण 3 ता 7 मृतक भूरा के कायम मुकाम है और हाल ख. नं. 2407 रकबा 0.09 है0 में से 0.04 है0 जमीन जो वादी एवं प्रतिवादीगण 3 ता 7 की पुश्तैनी जमीन है, को अपनी खातेदारी में लगवाने के अधिकारी होने से वाद वादी स्वीकार किया जावे। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नौकर चाकर मे वादी एवं प्रतिवादी 3 ता 7 के कब्जे में मजामहत नही करे और पाबन्द रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया था तथा वादी की बहस पर मनन किया। वादी आराजी ख. नं. 2407 रकबा 0.09 है0 में से 0.04 है0 की खातेदार उद्घोषणा चाहता है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 व 2 दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत सांवतगढ के सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 255 दिनांक 20.06.2013 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 माधूराम पुत्र रामसुख के वारिसान है।

प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 के अनुसार कुल किता 34 में कुल रकबा 134 बीघा 16 बिस्वा भूमि में अन्य खसरा नम्बरो के साथ साबिक ख. नं. 925 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि में नाराण भूरा पि. माधो का 2/5 हिस्सा है अर्थात भूरा पि. माधो का 1/5 हिस्सा है, जो लगभग 12 बिस्वा के बराबर होता है।

प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 ग्राम सावंतगढ के अनुसार साबिक ख. नं. 925 मीन से हाल ख. नं. 3621 रकबा 0.09 है0 बना है।

प्रदर्श–7 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2069–72 नया ग्राम दांता बन जाने से ख. नं. 3621 रकबा 0.09 है0 से हाल ख. नं. 2407 रकबा 0.09 है0 बना है।

प्रदर्श– 3 व 4 अनुसार 3621 रकबा 0.09 है0 व हाल बना ख. नं. 2407 जयराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन से यह तथ्य सामने आते है कि श्रीकिशन उर्फ बिहारी, जयराम, नारायण व भूरा पुत्र गुलाब (मृतक), छोटी (मृतक) पुत्रियां व बरदी देवा बेवा माधू का 1/5 हिस्सा है। वाद अनुसार गुलाब (मृतक), छोटी (मृतक) पुत्रियां व बरदी देवा बेवा माधू की मृत्यु हो चुकी है, के अनुसार श्रीकिशन उर्फ बिहारी, जयराम, नारायण व माधो का 1/5 हिस्सा रह जाता है, जिसके अनुसार ख. नं. 925 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के कुल एअर लगभग 81 एअर बनता है। इस अनुसार माधो के वारिसान श्रीकिशन उर्फ बिहारी, जयराम, नारायण व माधो के नाम संयुक्त रूप से 81/5=16 एअर के लगभग बनती है और प्रत्येक चारो पुत्रो के अलग अलग 4 एअर–4 एअर भूमि आती है। वाद वादी अनुसार श्री किशन उर्फ बिहारी व नारायण ने अपने हिस्सा अलग करवा लिया और जयराम ने माधो का हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया।

उक्त विवेचन व विश्लेषण से यह तथ्य सामने आते है कि वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए सम्वत 2033–36 के बाद की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की है। वादी ने किसी भी दस्तावेज से यह भी साबित नहीं किया है कि केवल साबिक ख. नं. 925 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से लगभग 81 एअर के लगभग भूमि बनती है, जिसमें से श्री किशन उर्फ बिहारी व नारायण ने अपने हिस्सा 4 एअर–4 एअर कब और कैसे अलग करवाया व जयराम ने भूरा के हिस्से की भूमि को कब और किस दस्तावेज से अपने नाम लगवाया और वादी ने ख. नं. 2407 रकबा 0.09 है0 में से 0.04 है0 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का कब्जा रहा हो। उक्त बाबत वादी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यो से, स्वतंत्र गवाहान से साबित नही किया है।

अतः उक्तानुसार विश्लेषण से वादी को खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। अतः वाद वादी दस्तावेजी व प्रलेखिय साक्ष्यों के अभाव के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनाकं 27.12.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी..

..मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .

उनवानी दावा :

बहादुर पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1.रामपाल पुत्र जयराम जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक
2.छीतरी पुत्री जयराम जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक
3.राधाकिशन पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ हाल निवासी प्रेमनगर कॉलोनी, कुचलवाड़ा तहसील जहाजपुर
4.रामराज पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5.कैलाशी पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी चावण्ड की झोपड़ियां तहसी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
6.आशा पुत्री भूरा पत्नी हरिसिंह जाति मीणा निवासी सरस्या तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
7.रामकुरी बेवा भूरा जाति मीणा निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली
8.तहसीलदार दूनी जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 109 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुददई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

दस्तावेजी व प्रलेखिय साक्ष्यों के अभाव के कारण खारिज वाद किया जाता है।

निजी..मुवलिक......................................बाबत् ....

..................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)........

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		

109/2013 उनवान बहादुर बनाम रामपाल वगै.
नाक:–27.12.2024

...स कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner